36. रखाराम पुत्र श्री लाबूराम फौत के कायम मुकाम् :–
36/1 प्रकाश पुत्र रखाराम
36/2 ओमाराम पुत्र रखाराम
36/3 बंशीलाल पुत्र रखाराम
36/4 रेखा पुत्री रखाराम
36/5 पारसराम पुत्र रखाराम
37. बगदाराम पुत्र श्री गोकलराम
38. सोहनलाल पुत्र श्री गोकलराम
39. घेवरराम पुत्र श्री अणदाराम
40. हीराराम पुत्र श्री अणदाराम
41. सायतीदेवी पुत्री श्री अणदाराम
42. सोहनीदेवी पुत्री श्री अणदाराम
43. ढगलाराम पुत्र श्री लालाराम (लावल्द फौत) कायम मुकाम् के रूप में प्रतिवादी संख्या 37 से 42
44. उमाराम पुत्र श्री रूपाराम फौत के कायम् मुकाम् :–
44/1 गजराई पत्नी उमाराम
44/2 सुमन पुत्री उमाराम
44/3 राजुराम पुत्र उमाराम
45. दुर्गाराम पुत्र श्री तुलछाराम फौत के कायम मुकाम् :–
45/1 चन्दा पत्नी दुर्गाराम
45/2 देवाराम पुत्र दुर्गाराम
45/3 उदाराम पुत्र दुर्गाराम
45/4 सुरेश पुत्र दुर्गाराम
45/5 सुरेन्द्र पुत्र दुर्गाराम
45/6 प्रेम पुत्री दुर्गाराम
45/7 लाडुड़ी पुत्री दुर्गाराम
सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम मादलिया, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर राज.
46. प्रबन्धक यूको बैंक हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
47. श्रीमान तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 45 की ओर से श्री उदयसिंह कच्छावाह एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 46 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 47 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 14.05.2022**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 45 की सयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुद जमीन ग्राम मादलिया की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 828 रकबा 12.1916 हैक्टेयर किस्म बारानी अवल स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का

उपखण्ड अधिकारी

1/6 हिस्सा व वादी संख्या 2 से 5 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 से 12 व प्रतिवादी संख्या 37 से 45 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 24 से 36 का 1/3 हिस्सा स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर अलग–अलग काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे बंटवाड़ा नही किया गया है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार माप व सीमा ज्ञान कर बंटवाड़ा किया जाकर कानूनन राजस्व रेकर्ड व आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाना चाहता है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि मे समय–समय पर सुधार कार्य करवाते रहे है, अब और सुधार कार्य करवाने हेतु अपने हिस्से को अलग करवाकर भूमि में सुधार कार्य करवाकर जमीन को उपजाऊ व कीमती बनाना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा बाबत प्रस्ताव कइ बार रखा लेकिन किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर टालम टोल करते रहे। वादीगण ने दिनांक 05.11.2021 को हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर अलग–अलग दर्ज करवाने की बात प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने एलानिया बंटवाड़ा करने से मना कर दिया। वादीगण को राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने का पूर्णरूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि में मौके पर आपसी सहमति से करीब 50 वर्षो पूर्व किये गये आपसी सहमति से बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि में हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाना न्यायहित में जरूरी है। इसलिए वाद बाबत् बंटवाडा का पेश है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी की आई हुई है मौके पर नाप चौप कर आपसी सहमति से पक्षकारों द्वारा बंटवाड़ा किया हुआ है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाना शेष है। वादीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का वादीगण को जबरदस्ती उपयोग व उपभोग नही करने देंगे ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न नही करे, इसलिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी है। इसलिए वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रतिवादी संख्या 46 प्रबन्धक यूको बैक हरियाढाणा से विभिन्न खातेदारों के ऋण प्राप्त करने से रहन दर्ज होने पर औपचारिक पक्षकार बनाये गये है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 47 तहसीलदार पीपाडशहर सरकार के प्रतिनिधि व भूमिधारी होने व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 05.11.2021 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मौके पर स्थित हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग दर्ज कराने की बात करने पर व प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करने से मना करने पर ग्राम मादलिया में उत्पन्न हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा हिस्से अनुसार अलग किया जावे तथा लगान अलग-अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया जावे। तथा वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में स्थित वादी के हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण व उनके नौकर, चाकर हाली एजेन्ट आदि को हमेशा के वास्ते जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 22.11.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम मादलिया तहसील पीपाड़शहर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 828 रकबा 12.1916 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 1/6 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का 1/6 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 से 12 व प्रतिवादी संख्या 37 से 45 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी 24 से 36 का 1/3 हिस्सा की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार पीपाड़शहर ने दिनांक 11.04.2022 को बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो पत्रावली में शामिल मिसल किया गया तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़शहर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़शहर

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण
भागीरथराम

बनाम

प्रतिवादीगण
भीयाराम वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 110/2021

निर्णय दिनांक :– 14.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री **नरपतसिंह सोलंकी** अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 45 की ओर से श्री **उदयसिंह कच्छावाह** अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 46 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 47 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर **ग्राम मादलिया तहसील पीपाड़शहर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 828 रकबा 12.1916 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 1/6 वॉं हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का 1/6 वॉं हिस्सा, वादी संख्या 6 से 12 व प्रतिवादी संख्या 37 से 45 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी 24 से 36 का 1/3 हिस्सा की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार पीपाड़शहर ने दिनांक 11.04.2022 को बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो पत्रावली में शामिल मिसल किया गया तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़शहर

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़शहर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़शहर,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 110/2021

वादीगण

1. भागीरथराम दतक पुत्र गोपाराम
2. मोहनराम पुत्र श्री जसाराम
3. घीसाराम पुत्र श्री जसाराम
4. पुरखाराम पुत्र श्री भभूतराम
5. रामनिवास पुत्र श्री भभूतराम
6. अनोपराम पुत्र श्री बचनाराम
7. दाकुदेवी पत्नी श्री बचनाराम
8. केसाराम पुत्र श्री तुलछाराम
9. पपाराम पुत्र श्री रूपाराम
10. मूलाराम पुत्र श्री रूपाराम
11. मोहनराम पुत्र श्री रूपाराम
12. रखाराम पुत्र श्री रूपाराम
    जातियान मेघवाल निवासीगण
    ग्राम मादलिया, तहसील
    पीपाड़शहर, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भीयाराम पुत्र श्री दयाराम
2. अमराराम पुत्र श्री शंकरराम
3. चम्पालाल पुत्र श्री शंकरराम
4. हरकुदेवी पत्नी श्री शंकरराम
5. ओगड़राम पुत्र श्री आईदानराम
6. कुनाराम पुत्र श्री आईदानराम
7. पोकरराम पुत्र श्री आईदानराम
8. कानाराम पुत्र श्री मोहनराम
9. बाबुलाल पुत्र श्री मोहनराम
10. हड़मानराम पुत्र श्री मोहनराम
11. गटूदेवी पत्नी श्री मोहनराम
12. दुर्गादेवी पुत्री श्री मोहनराम
13. मिर्गादेवी पुत्री श्री मोहनराम
14. चिमनाराम पुत्र श्री भूराराम फौत के कायम मुकाम् :–

14/1 नाथीदेवी पत्नी चिमनाराम
14/2 अमित मेघवाल पुत्र चिमनाराम
14/3 अनु कुमारी मेघवाल पुत्री चिमनाराम

15. रामनिवास पुत्र श्री भूराराम
16. हापूराम पुत्र श्री भूराराम
17. विद्या पुत्री श्री भूराराम
18. राजूराम पुत्र श्री बस्ताराम
19. महेन्द्र पुत्र श्री बस्ताराम
20. सुखड़ी पत्नी श्री बस्ताराम
21. शोभादेवी पुत्री श्री बस्ताराम
22. सुनीता पुत्री श्री बस्ताराम
23. सुरता पुत्र श्री बस्ताराम
24. सुरेन्द्र पुत्र श्री चन्द्राराम
25. गमली पत्नी श्री चन्द्राराम
26. लीला पुत्री श्री चन्द्राराम
27. झुमरराम पुत्र श्री मुकनाराम
28. भंवरलाल पुत्र श्री मुकनाराम फौत के कायम मुकाम् :–

28/1 बिदकी पत्नी भंवरलाल
28/2 सुमेरराम पुत्र भंवरलाल
28/3 कैलाश मेघवाल पुत्र भंवरलाल
28/4 कोमल पुत्री भंवरलाल
28/5 सरोज पुत्री भंवरलाल

29. हरदीनराम पुत्र श्री भोमाराम
30. रामपाल पुत्र श्री रामदीन
31. रतनाराम पुत्र श्री रामदीन
32. ढगलाराम पुत्र श्री रामदीन
33. पेमाराम पुत्र श्री लाबूराम
34. मांगीलाल पुत्र श्री लाबूराम
35. उगराराम पुत्र श्री लाबूराम